

**आज्ञावक**

**उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**प्रत्यक्ष प्रवेश सूचनाएं**

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/0537

संख्या- दिनांक- 09/08/2021

**। आज्ञावक द्वारा ।**

उच्च. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वरिष्ठतम औद्योगिक इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रूप से 2021-22 हेतु विदेशी/राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रवेश किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च. संकाय से सम्बद्धता/सम्बद्धता विनियम प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 05/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण हो संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विनियम/चार्टर/संकाय समेत समस्त दृष्टि शामिल अन्य जहाँ पर विधान करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विनियम प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च. संकाय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन चार्टर/संकाय एवं उसमें उचित प्रवेश समेत हेतु सम्बद्धता विनियम प्रदान की जाती है:-

| संस्था का कोड एवं नाम : 1179-PANCHWATI INSTITUTE OF POLYTECHNIC, MEERUT |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| क्र.सं.   | पाठ्यक्रम का नाम                     | पठ.अई/संकाय/संकाय/पौ.संकाय/संकाय/संकाय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समेत | परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समेत |
| 1   | ELECTRICAL ENGINEERING               | 60   | 60  |
| 2   | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)  | 30   | 30  |
| 3   | MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE) | 60   | 60  |
| 4   | ELECTRONICS ENGINEERING              | 30   | 30  |
| 5   | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)  | 60   | 60  |
| 6   | CIVIL ENGINEERING                    | 30   | 30  |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था १०७आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद वरिष्ठ 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारण क्षमिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए वास्तविकता में ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की सीमा वास्तविकता में ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के कुल वास्तविकता में (दो वर्षों की सीमा वास्तविकता में अधिकतम) ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राप्त किया जायेगा। उपायों के अधिकतम वास्तविकता में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर समान द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशनों को, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता (आवश्यक होगा)। क्वीट निर्धारण क्षमिति द्वारा वरिष्ठ वर्ष 2021-22 में वीस का कुटीकरण किया जाता है, जो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा क्षमिति) तथा 300 क्षमिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता (विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा)।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित क्षमिति को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के लिए वह अपने की क्षमिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित सार्वजनिक के अनुसूचित विभाग एवं सम्बद्ध शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को १०७आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से लगानी कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता (आवश्यक होगा)।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबोरे गये विधिविद्यार्थी/विनियमवली/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा कबोरे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन सभी वास्तविकता में संस्था वरिष्ठ वी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात छुपर किया जाता है तथा छुपर बात के संबंध में डा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्धारित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन सभी वास्तविकता में संस्था वरिष्ठ वी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात छुपर किया जाता है तथा छुपर बात के संबंध में डा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्धारित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन सभी वास्तविकता में संस्था वरिष्ठ वी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात छुपर किया जाता है तथा छुपर बात के संबंध में डा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्धारित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबोरे गये विधिविद्यार्थी/विनियमवली/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा कबोरे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति मुद्रि, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, प्रकाशित करने वाले शुल्क, वास्तविकता में शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के लिये वीस वीस के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रास्ताविक/संघटित कार्यक्रम को चलाने वाले हेतु निदेशक समिति के समस्त उपलब्ध कारगरे एवं अभिलेख, भूमि-संयोजन, कर्जापत्र, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में इस्तेमाल किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के उच्चतम निदेशक द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, इलेक्ट्रिकल, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एतदनुसार/सौकर्यपूर्ण/सुव्यवस्थित/परिषद के नियमानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले प्रत्येक शर्तों का उल्लंघन करने वाले की स्थिति में निष्पत्तानुसार अनुशासनसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शोमकर)

सचिव

फ़ोन- सचिवालय/परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4859

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

सचिवालय/निदेशक, PANCHWATI INSTITUTE OF POLYTECHNIC MEERUT



(सुनील कुमार शोमकर)

सचिव





**कार्यालय  
राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद,  
प्लॉट इविस लखनऊ।**

संख्या- एनए/राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद/2018/1133

लखनऊ दिनांक 13-9-2018

-कार्यालय सूचना-

अधिकांश भारतीय राजकीय विद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा वर्ष 2018-20 हेतु विद्यार्थियों को राज्य सरकारों की विद्यालयों को अनुदान प्रदान किए जाने की प्रकृति आर्थिक शिक्षा परिषद, एनए लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 24-8-2018 को असाधारण आर्थिक शिक्षा परिषद, एनए लखनऊ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यलय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2018-20 हेतु आर्थिक शिक्षा विद्यालयों को सम्बद्धता/पूर्ति के संबंधित सम्बद्धता या सम्बद्धता विचार/पदपूर्ति/अन्य अन्य सुविधा/व्यय हेतु वर्ष 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इसमें ही अनुदान में सम्बद्धता समिति की बैठक को 14-9-20 में विद्यार्थियों द्वारा पूर्णतः पदपूर्ति/सम्बद्धता प्रदान करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता विचार का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यथा विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया।

**संलग्नक-1** में अधिकांश राजकीय विद्यालयों के संबंधित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विद्यालयों को संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अधिकांश विद्यालयों के अनुसार सम्बद्धता को वर्ष 2018-20 हेतु निर्णय सम्बद्धता वाली ही अधीन प्रस्ताव आर्थिक शिक्षा परिषद, एनए लखनऊ से सम्बद्धता विचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अब निम्नानुसार संबंधित विद्यालयों को राष्ट्रीय की सम्बद्धता समिति द्वारा लिखे गए निर्णय को अपना वह आर्थिक शिक्षा परिषद, एनए लखनऊ द्वारा वर्ष 2018-20 हेतु निम्नलिखित वाली ही अधीन पदपूर्ति एवं प्रदान अधिकांश विद्यालयों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का पता   | पदपूर्ति का नाम  | सम्बद्धता/पूर्ति/अन्य/व्यय हेतु वर्ष 2018-20 में अनुदानित राशि/अन्य | राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2018-20 हेतु अनुदानित राशि/अन्य |
|----------|---------------|---|--|---|---|
| 1        | एनए           | विद्यालय इविस लखनऊ<br>राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद, एनए लखनऊ | पदपूर्ति हेतु<br>संबद्धता हेतु (अर्थ)<br>संबद्धता हेतु<br>संबद्धता हेतु (अर्थ)<br>संबद्धता हेतु (अर्थ)<br>संबद्धता हेतु (अर्थ) | 50<br>50<br>50<br>100<br>50<br>50                                   | 50<br>50<br>50<br>100<br>50<br>50   |

**सम्बद्धता हेतु सूची**

- ✓ संस्था 100% सरकारी/राष्ट्रीय द्वारा निर्णयित की गयी वाली का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान अधिकांश आर्थिक शिक्षा परिषद एनए लखनऊ तथा आर्थिक शिक्षा परिषद विद्यालयों 1000 तक अन्य निर्णय विद्यालयों का आदेशों का अनुदान, वाली तथा सुका विद्यालय समिति द्वारा निर्णयित सुका हीन नहीं हेतु सम्बद्धता/पूर्ति हेतु वर्ष 2018-20/- अर्थ, ही अधीन कार्यकारी पदपूर्ति हेतु वर्ष 2018-20/- अर्थ, एवं एक तथा दो वर्षों पदपूर्ति (दो वर्षों कार्यकारी पदपूर्ति के अर्थ) हेतु वर्ष 2018-20 अर्थ, सुका ही अधीन कार्य/अन्य के प्रदान किए जायेंगे। अधिकांश के अधिकांश कार्य/अन्य के सुका के लक्षण में सम्बद्धता/अन्य का प्रदान द्वारा निर्णय किने जाने वाली सम्बद्धता वाली ही, ही अनुदान अधिकांश आर्थिक शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा निर्णयित सुका ही अधीन अधिकांश आर्थिक शिक्षा परिषद एनए लखनऊ द्वारा निर्णयित सुका ही, ही अधीन ही अधीन ही का अनुदान प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था को निम्न अधिकांश आर्थिक शिक्षा परिषद एनए लखनऊ, सम्बद्धता को सम्बद्धता विचार प्रदान विद्यालयों-2000 की वाली का अनुदान प्रदान होगा।

